Help line for distress children

2420. SHRIMATI VEENA VERMA:
DR. KARAN SINGH:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether there was a proposal under Government's consideration to launch "Child-help lines" for children in distress;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) the steps so far taken in that direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (c) Yes, Sir. A 24 hour emergency phone service is being introduced in identified cities for children in distress. The main idea behind introducing this service is to provide relief and succor to children in distress. In the first phase, the service is to be provided in 9 cities and subsequently it will be extended to other cities having concentration of street children, neg-lected and delinquent juveniles.

जातियों/उप-जातियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सिफारिश

2421. **श्री रमाशंकर कौशिक** :

श्री एस.एम. ए. कृष्णा

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न जातियों/ उप-जातियों एवं उनके पर्यायों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु की गई संस्तुतियों की राज्य-वार संख्या क्या हैं;

(ख) आयोग द्वारा भारत सरकार को भेजी गई सिफारिशों में से कितने मामलों को केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिपत्र गजट में अधिसूचित किया गया हैं; और तत्संबंधी तिथि-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भेजी गई सिफारिशों में से भारत सरकार के पास लंबित शेष मामलों की राज्य-वार संख्या क्या हैं और इनकी अधिसूचना में कितना समय लगेगा?

सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विवरण संलग्न हैं (नीचे देखिये)।

(ख) आयोग द्वारा भेजी गई तीन सलाहों को संकल्प संख्या 12011/13/97 बी.सी.सी. दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 के तहत उत्तर प्रदेश के लिए पिछड़े वर्गो को केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भेजी गई शेष सभी सलाहों पर कार्यवाही की जा चुकी हैं। अधिसूचना के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि सरकार को इस मामले में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक समेकित दृष्टिकोण लेना हैं।

विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 97 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए भेजी गई सलाह/सिफारिशें**
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	चंड़ीगढ़	4
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5
4.	गोवा	3
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	8
7.	कर्नाटक	27
8.	केरल	16
9.	मध्य प्रदेश	10
10.	महाराष्ट्र	3
11.	उड़ीसा	4
12.	पंजाब	5
13.	राजस्थान	17
14.	सिक्किम	1
15.	तमिलनाडु	9
16.	उत्तर प्रदेश	16
17.	पश्चिम बंगाल	9